



विकलांग महिलाओं के अधिकार और सामाजिक समावेश

Rights and social inclusion of women with disabilities

Moni,

Faculty of Social Science,
Department of History,
University of Delhi,
New Delhi-110007.

सार- औद्योगीकरण, नगरीकरण, परिवहन, यातायात की वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के आवासन-प्रवासन के परिणामस्वरूप विश्व में प्रत्येक समाज की भौतिक संचनाएं बदल गईं। विकास और विकासशील दोनों स्तर के समाज में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है। लेकिन इन सब तथ्यों के बीच बढ़ती महामारियों और विभेदकारी राजनीति ने कहीं न कहीं विकसित और विकासशील समाजों में ऐसे समुदाय वर्गों को हाशिए रेखा से भी पीछे धकेल दिया है। ये वर्ग न सिर्फ आधुनिकता के दौर में पीछे रह गये बल्कि अपने अस्तित्व को विकास की सीढ़ी तक लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किसी भी विकलांग व्यक्ति को अपने जीवन को जारी रखने और समाज में समानता के लिए संघर्ष करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बेशक, विकलांग पुरुषों और महिलाओं के साथ उनकी अक्षमताओं के कारण भेदभाव किया जाता है, लेकिन विकलांग महिलाओं को लिंग के आधार पर संयुक्त भेदभाव और विकलांगता के आधार पर भेदभाव के कारण और अधिक नुकसान होता है। विकलांग महिलाओं को आवास, स्वास्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्राप्त करने में सावर्जनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काफी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके संस्थागत होने की संभावना अधिक होती है। अतः यह लेख विकलांग महिलाओं के जीवन की चुनौतियों और सामाजिक समावेशन पर विस्तार से चर्चा करेगा।

बीजक शब्द- विकलांग, सामाजिक बहिष्करण, समावेशन, रणनीतियाँ, संस्थागत (पदेजपजनजपवदंसपेमक)

प्रस्तावना- मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करते समय विभिन्न चुनौतियों का अनुभव करता है खासकर जब उसके पास व्यक्तिगत बाधाएँ होती हैं। विकलांगता को सामान्य शब्दों में परिभाषित किया गया है कि शरीर की सामान्य संरचना में कोई हानि या समस्या जो शरीर को सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न करती है उसे विकलांगता कहा जाता है। जैसे देखना, सुनना, चलना व बोलना आदि। वैसे विकलांगता के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन गई है। जिस कारण बड़े पैमाने पर समाज के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई विकलांगता पर अब तक की पहली विश्व रिपोर्ट बताती है कि आज दुनिया में एक अरब से अधिक लोग विकलांगता का अनुभव करते हैं। भारत में जनसंख्या के इस वर्ग में 2001 और 2011 के बीच 22.4% की वृद्धि हुई है। विकलांगों की संख्या, जो 2001 में 2.19 करोड़ थी, वह 2011 में बढ़कर 2.68 करोड़ हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में विकलांग लोगों की संख्या अधिक है। अधिकांश विकलांग वे लोग हैं जो चलने-फिरने में अक्षम हैं। विकलांग आबादी का लगभग 5.6% मानसिक रूप से विकलांग हैं, जिन्हें 2011 की जनगणना में पेश किया गया था।¹

विकलांग महिलाएं अपनी पहचानों से अत्यधिक ताकत, लचीलापन और रचनात्मकता प्राप्त करती हैं। इसके अलावा वे भेदभाव तथा बहिष्कार के परिणामों का भी सामना करती हैं। जैसे- रोजगार की कम दर, कम मजदूरी, कम शैक्षिक स्तर, यौन और शारीरिक हिंसा की उच्च दर और सीमित स्वास्थ्य पहुंच, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल आदि। विकलांग लोगों पर किए गए अधिकांश शोधों ने लिंग की अप्रासंगिकता के साथ-साथ सामाजिक वर्ग, नस्ल, जातीयता और यौन अभिविन्यास जैसे अन्य सामाजिक आयामों को ग्रहण किया है।² विकलांग महिलाओं के प्रति सुरक्षा की चिंता तेजी से बढ़ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि “जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है और जहां परिवार आगे बढ़ता है, वहां गाँव-शहर आगे बढ़ता है”।³ लेकिन विकलांग महिलाएं आमतौर पर तीन प्रकार के भेदभाव यानी लिंग, विकलांगता और अंत में गरीबी से पीड़ित होती हैं। यद्यपि दुनिया ने 1985 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष और 1981 में विकलांगों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष मनाया, लेकिन फिर भी विकलांग लोग अपने स्वस्थ जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। खासकर विकलांग महिलाएं कई सुविधाओं से वंचित हैं। अंत मेरा लेख विकलांग महिलाओं के सामाजिक समावेशन को विभिन्न आयामों द्वारा दर्शाते हुये विकलांग महिलाओं के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा करेगा।

विकलांग महिलाएं भारतीय समाज में सबसे कमजोर वर्ग के रूप में हैं। यह भेदता वर्ग और जाति में मौजूद हैं, इस परिदृश्य की गहन अंतर्दृष्टि से इस तथ्य का पता चलता है कि यद्यपि पुरुष और महिलाएं विकलांगता के कारण समान रूप से पीड़ित हैं, लेकिन कुछ समस्याएँ विशेष रूप महिलाओं के लिए हैं। पितृसत्तात्मक समाज में यदि विकलांगता लड़कों और लड़कियों को लगभग समान रूप से प्रभावित करती है, लेकिन विकलांग पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं को अधिक अपमान का सामना करना पड़ता है। भारत में आमतौर पर बेटों का जन्म हमेशा मनाया जाता है, लेकिन लड़की के जन्म पर ऐसा कुछ नहीं होता। समाज में विकलांग लड़के को विकलांग लड़की से अधिक स्वीकार्य माना जाता है। यदि किसी परिवार में एक विकलांग लड़का है तो उसे एक उत्पादन पुरुष बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन लड़कियों के मामले में ऐसा नहीं होता।

वे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य स्थिति के मामले में सबसे अधिक हाशिए पर हैं। उन्हें किसी भी तरह के शोध, राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों, जन आंदोलनों व पुनर्वास कार्यक्रमों में प्राथमिकता समूह के रूप में नहीं माना जाता। विकलांगता से जुड़े कलंक और भेदभाव के कारण वे सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी से और अलग हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में, यह चिंताजनक रूप से स्पष्ट हो गया है कि विकलांग महिलाओं पर भावनात्मक, यौन और शारीरिक हमलों का अत्यधिक प्रभाव बढ़ा है। एक निशक्त महिला, चाहे उसकी उम्र, सामाजिक आर्थिक स्थिति, नस्लीय जातीयता या यौन अभिविन्यास कुछ भी हो, एक सामान्य महिला की तुलना में दुर्व्यवहार की संभावना दुगनी होती है। इसीलिए विकलांग महिलाओं के समावेशन को हम निम्नलिखित आयामों से देख सकते हैं-

विकलांग महिलाएं और शिक्षा-

शिक्षा किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास की कुंजी है। शब्द के शुद्ध अर्थ में शिक्षा लोगों को ज्ञान, रोजगार के लिए कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, संचार कौशल आदि जैसे कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। जब शिक्षा की बात आती है तो आमतौर पर महिलाएं एक नुकसानदेह स्थिति में होती हैं। निःशक्त महिलाएं आबादी का एक ऐसा वर्ग है जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से उनके शिक्षा के अधिकार के संबंध में भेदभाव किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सक्षम की एक रिपोर्ट, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए कन्वेंशन के लिए सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट है, वैश्विक साक्षरता दर को विकलांग महिलाओं के लिए एक प्रतिशत के रूप में कम इंगित करती है। शिक्षा उन मूलभूत समस्याओं में से एक है जिनका विकलांग लड़कियां सामना करती हैं। उन्हें स्कूलों तक पहुंच, स्कूलों में नामांकन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर का लाभ उठाने के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विकलांग लड़कियों को लैंगिक पक्षपात के कारण बुनियादी शिक्षा से भी बाहर रखा जाता है। आमतौर पर, विकलांग लड़कों के लिए शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, लेकिन लड़कियों के बारे में बहुत कम विचार किया जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

विकलांग महिलाएं और रोजगार-

आमतौर पर विकलांगों के लिए रोजगार के अवसर दूसरों की तुलना में बहुत कम होते हैं, लेकिन जब विकलांग महिलाओं (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) को आजीविका और अन्य गतिविधियों में शामिल करने की बात आती है तो एक और विभाजन होता है। शिक्षा और रोजगार विशेष रूप से विकलांग महिलाओं के संदर्भ में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण रोजगार के लिए एक पूर्वपेक्षा है। भारत में, विकलांग महिलाओं का एक बड़ा वर्ग या तो बेरोजगार है या बहुत कम वेतन वाली नौकरियों में लगा हुआ है। ⁶² 2002 के आंकड़ों के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य कार्य गतिविधि की स्थिति (सर्वेक्षण से पहले पिछले ³⁶⁵ दिनों के दौरान गतिविधि की स्थिति) दर्शाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः ⁶² प्रतिशत और ⁸⁹ प्रतिशत पुरुष और महिलाएं और क्रमशः ⁶³ प्रतिशत और ⁹⁰ प्रतिशत पुरुष और महिलाएं हैं। यद्यपि विकलांग व्यक्तियों के लिए समग्र रोजगार परिदृश्य खराब है, विकलांग महिलाओं के मामले में यह अधिक प्रतिकूल है।⁴

जहां तक रोजगार के अवसर का संबंध है, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण की वास्तविकता खतरनाक रूप से कम है। विकलांग महिलाएं अपने रोजगार की स्थिति के संबंध में सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। श्रम बाजार की कल्पना दो अलग-अलग खंडों में की जा सकती है: एक 'प्राथमिक' श्रम बाजार जिसमें कम भुगतान वाली मृत-अंत 'नौकरियां' हैं और 'द्वितीयक' श्रम बाजार जिसमें अच्छी करियर संभावनाओं के साथ अच्छी तरह से भुगतान वाली सफेदपोश नौकरियां होती हैं। पहली श्रेणी के लिए शारीरिक शक्ति और कड़ी मेहनत करने की क्षमता है और दूसरी श्रेणी के लिए आवश्यकता उच्च शिक्षा और व्यावसायिक योग्यता है। निःशक्त महिलाएं अपनी शारीरिक दुर्बलता के आधार पर और बुनियादी शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण इनमें से किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाती हैं। साक्ष्य बताते हैं कि सदियों से विकलांग महिलाएं बुनाई, टोकरी बनाने, सिलाई, खिलौनों को इकट्ठा करने और हस्तशिल्प वस्तुओं के उत्पादन जैसे नियमित और कम वेतन वाले काम कर रही हैं।

विकलांग महिलाएं और स्वास्थ्य-

स्वास्थ्य का अधिकार बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। महिलाओं के साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, वे एक ऐसा समूह हैं जिनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता देने, समझने और शोध करने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के बावजूद, महिलाएं गरीबी, हाशिए वर्ग और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक अलग-अलग पहुंच का अनुभव करती हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य उन क्षेत्रों में से एक है जो विशेष चिंता का विषय है। हाशिए वर्गों से संबंधित महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का पता लगाने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वे भेदभाव के प्रति दोगुनी संवेदनशीलता का शिकार हैं।

विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाली महिलाओं को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे इन समस्याओं का सामना दो कारणों से करती हैं, एक स्वास्थ्य समस्या की पहचान करना और दूसरी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच। बुढ़ापा और विकलांगता का घनिष्ठ संबंध है; बड़ी उम्र की महिलाएं एक अलग आबादी का गठन करती हैं जिसके लिए युवा महिलाओं की आबादी से बहुत अलग हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। स्पष्ट रूप से महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं समरूप नहीं हैं और पारंपरिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इसका समाधान नहीं किया जा सकता। बुजुर्गों में लकवा और जोड़ों की शिथिलता एक बहुत ही सामान्य घटना है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें 'स्ट्रोक' का बहुत बड़ा योगदान है। बुजुर्ग महिलाएं जो अक्षम हैं उन्हें स्वास्थ्य देखभाल के साधन बहुत कम व सीमित मात्रा में ही प्राप्त होते हैं। वे ज्यादातर समय शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करती हैं।

विकलांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध-

विकलांग महिलाएं, लिंग, विकलांगता और गरीबी के बीच परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप कई नुकसानों का अनुभव करती हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यद्यपि विकलांग महिलाओं ने यौन, शारीरिक और भावनात्मक हिंसा का अनुभव किया, लेकिन पूर्व समूह द्वारा सामना की गई पारिवारिक हिंसा की प्रकृति अनुपातहीन रूप से अधिक थी। विकलांग महिलाओं को अक्सर घरों के भीतर सूक्ष्म उपहास, धमकी और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। गैर-विकलांग महिलाओं और लड़कियों की तुलना में विकलांग महिलाओं और लड़कियों को हिंसा का सामना करने, हिंसा के अधिक लंबे, बार-बार और गंभीर रूपों का अनुभव करने और उस हिंसा से अधिक गंभीर और पुराने प्रभावों को भुगतने की संभावना अधिक होती है।⁵ वास्तव में, विकलांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की उच्च दर भेद्यता के रूप में विकलांगता का उप-उत्पाद नहीं है, बल्कि अलगाव और गरीबी और दूसरों पर उनकी शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक निर्भरता के परिणाम हैं, जो उन्हें असमान बनाती है।⁶

उम्र, जाति, जातीयता, यौन अभिविन्यास या वर्ग, या क्षेत्र के बावजूद, विकलांग महिलाओं पर गैर-विकलांग महिलाओं की तुलना में दोगुनी दर से हमला, बलात्कार और दुर्व्यवहार किया जाता है। फिर भी, इन अपराधों की रिपोर्ट किए जाने की संभावना कम होती है। विकलांग महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्सर बेहद हिंसक होते हैं और पीड़ित को घायल, नियंत्रित और अपमानित करते हैं। वास्तव में, विकलांग लड़कियों और महिलाओं को हिंसा की खतरनाक दरों का सामना करना पड़ता है - परिवारों के भीतर, परिचितों द्वारा, संस्थानों में और पूरे समाज में। इस हिंसा में मौखिक दुर्व्यवहार, आर्थिक और

भावनात्मक शोषण, शारीरिक और यौन हिंसा, जबरन अलगाव, धमकी, हत्या, परित्याग और उपेक्षा, और उपकरण, दवा, परिवहन, या व्यक्तिगत सेवा सहायता को रोकना शामिल है।⁷

विकलांग महिलाएं और कामुकता व यौन शोषण-

विकलांग महिलाओं को अपनी लैंगिकता के बारे में विनाशकारी रूढ़िवादिता का सामना करना पड़ता है जो उन्हें लैंगिक और सामाजिक अलगाव की ओर ले जाता है व लैंगिकता और प्रेम को उनके जीवन के सबसे दर्दनाक हिस्सों में से एक बना देता है।⁸ और दस्तावेज़ (2009) विकलांग लोगों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुये, कहते हैं, कि “हर किसी की तरह, विकलांग व्यक्तियों को जीवन भर की ज़रूरत होती है, और ये ज़रूरतें जीवन भर बदलती रहती हैं। विभिन्न आयु समूहों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है”।⁸

जैसा कि अनीता घई लिखती हैं। “भारत में अक्षमता आंदोलन ने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी है, जिसने प्रजनन स्वास्थ्य और विकलांग महिलाओं के बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन जैसे स्त्री संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकारी और निजी संस्थानों में विकलांग महिलाओं की जबरन हिस्टेरेक्टॉमी का व्यापक उपयोग पूरे देश में हो रहा है। विकलांगता आंदोलन के नेताओं द्वारा देश की उपेक्षा की गई है जो अनिवार्य रूप से मध्यवर्गीय शिक्षित पुरुष हैं”।⁹ विकलांग महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हाल के वर्षों में ध्यान दिया गया है।¹⁰ इस क्षेत्र का अधिकांश साहित्य उन अध्ययनों पर आधारित है जो दिखाते हैं कि विकलांग महिलाओं को अन्य महिलाओं की तुलना में यौन शोषण का अधिक जोखिम होता है।¹¹ यह सामान्य रूप से समाज में और विशेष रूप से आवासीय सुविधाओं के भीतर होता है। विकलांग महिलाओं को चिकित्सा प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है-जबरन नसबंदी, अनधिकृत हिस्टेरेक्टॉमी, और सुरक्षा के बिना एक्स-रे स्क्रीनिंग। ऐतिहासिक रूप से, दुनिया भर में विकलांग महिलाओं को जन्म नियंत्रण के अति प्रयोग और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है।¹²

विकलांग महिलाओं और लड़कियों को अवसाद का बहुत अधिक जोखिम होता है, उनकी मानसिक और भावनात्मक बीमारी की प्रकृति और सीमा पर बहुत कम शोध मौजूद है, विशेष रूप से उनके भावनात्मक कल्याण पर विकलांगता पूर्वाग्रह, लिंगवाद और नस्लवाद के प्रभाव के बारे में। कैरल गिल के अनुसार “मैंने देखा है कि विकलांग और पुरानी प्रगतिशील बीमारियों वाले लोगों में अवसाद और निराशा का एक प्राथमिक स्रोत दैनिक जीवन में सामाजिक भेदभाव से आता है जो उनका मनोबल गिरा देता है। रोजगार, पूर्वाग्रह, बेहिसाब और चयनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संघर्ष, सुलभ और किफायती आवास की कमी, सुलभ परिवहन की कमी, मैंने कई शोध विषयों में गंभीर भावनात्मक भावनाओं को व्यक्त किया है जिसे आमतौर पर बर्न-आउट कहा जाता है। वास्तव में, विकलांग व्यक्तियों में बीमारियों से सबसे अधिक बार दोहराया जाने वाला विषय रहा है कि मैं अपनी शारीरिक स्थिति के साथ रह सकता हूँ या नहीं। लेकिन जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करते-करते में थक गया हूँ”।¹³

विकलांग महिलाएं और विवाह-

विकलांग पुरुषों और गैर-विकलांग महिलाओं दोनों की तुलना में, विकलांग महिलाओं की कभी शादी न करने, बाद में शादी करने और अगर वे शादी करती हैं तो तलाक लेने की संभावना अधिक होती है। विकलांग महिलाओं और पुरुषों की तलाक दरों की तुलना से लगता है कि पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं के अकेले रहने की संभावना अधिक है।¹⁴ गैर-विकलांग महिलाएं अक्सर अधूरे या अपमानजनक रिश्तों में फंसा महसूस करती हैं क्योंकि वे कल्पना नहीं कर पाती हैं कि वे अपने दम पर

आर्थिक रूप से कैसे जीवित रहेंगी। व्यापक मान्यता है कि विकलांग महिलाएँ बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं और उनका पालन पोषण नहीं कर सकती। जब विकलांग महिलाएँ माँ बनती हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह माना जाता है कि विकलांगता उन्हें माँ बनने के योग्य नहीं बनाती है। यद्यपि समाज का डर है कि विकलांग महिलाएँ दोषपूर्ण बच्चे पैदा करेंगी, जो कि एक निराधार तथ्य हैं, क्योंकि विकलांगों का विशाल बहुमत वंशानुगत नहीं है। इन आशंकाओं के परिणामस्वरूप सामान्य रूप से विकलांग महिलाओं और विशेष रूप से मानसिक मंद महिलाओं के साथ गंभीर भेदभाव होता है।

2007 विश्व बैंक की रिपोर्ट पीपल विद डिसएबिलिटी इन इंडिया: फ्रॉम कमिटमेंट्स टू आउटकम्स¹⁵ से पता चलता है कि:

1. विकलांग पुरुषों की तुलना में विकलांग महिलाओं के उपचार की संभावना लगभग 13: कम होती है।
2. विकलांग महिलाओं को विकलांग पुरुषों की तुलना में सहायता और उपकरण प्राप्त करने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि स्वास्थ्य प्रणाली में महिला तकनीशियनों की कम संख्या होती है और सहायता लेने वाली महिलाओं की संख्या अधिक होती है। दशकों से, विकलांग महिलाएँ अपने प्रजनन जीवन और क्षमता के बारे में नकारात्मक रूढ़िवादिता और अपने प्रजनन अधिकारों और स्वास्थ्य के दुरुपयोग के अधीन रही हैं। कई विकलांग महिलाओं के लिए, "विकलांग महिलाओं के रूप में स्वस्थ रहने और हमारे प्रजनन स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने का अवसर प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण तरीका है जिससे हम चिकित्सा विकृति का विरोध करते हैं और हमारे शरीर को प्राकृतिक के रूप में परिभाषित करते हैं"¹⁶

सामाजिक समावेशन के लिए क्षमता निर्माण और रणनीतियाँ-

सामाजिक समावेश की वकालत करने के लिए सभी हितधारकों (विकलांग लोगों, माता-पिता, देखभाल प्रदाताओं, सरकारी एजेंसियों, कार्यकर्ताओं, अन्य पेशेवरों) को शामिल करके एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है। भारत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (न्चब्बू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो विकलांग लोगों के अधिकारों का समर्थन करता है और कानूनी प्रणाली को देश में अन्य सभी नागरिकों की तरह विकलांग लोगों के अधिकारों को पहचानना और शामिल करना चाहिए। विकलांग लोगों के मुद्दों को शामिल करने के लिए प्रासंगिक कानूनों को संशोधित करने या बनाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन, लिंग-संवेदनशील विकलांगता कानूनों की आवश्यकता: विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम) विकलांगता के सभी मुद्दों को नियंत्रित करता है। लेकिन यह महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव और हिंसा पर चुप है जो विकलांग पुरुषों से उनकी स्थिति को अलग करता है।

निःशक्त महिलाओं से संबंधित यूएनसीआरपीडी के मूलभूत प्रावधानों को संक्षेप में संदर्भित किया गया है:

1. अनुच्छेद 3 (छ) - पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता का सिद्धांत।
2. अनुच्छेद 6 . विकलांग लड़कियों और महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कई भेदभाव को पहचानने के लिए राज्य पार्टी की जिम्मेदारी और 'सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को सुनिश्चित करने' के उपाय करने के लिए, और 'महिलाओं का पूर्ण विकास, उन्नति और सशक्तिकरण' सुनिश्चित करके अधिकारों की प्राप्ति को सक्षम बनाना।

3. अनुच्छेद 16 - शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से सुरक्षा। 'लिंग संवेदनशील समर्थन' सुनिश्चित करना; 'शोषण की घटनाओं से बचने, पहचानने और रिपोर्ट करने के बारे में जानकारी और शिक्षा प्रदान करना'; हिंसा, उसकी पहचान, जांच और सजा को संबोधित करने के लिए महिला-केंद्रित नीतियां और कानून बनाना।

4. अनुच्छेद 28 . सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, 'विशेष रूप से, विकलांग महिलाओं और लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक'।

हमें डिसेबिलिटी कन्वेंशन में निहित इन मुख्य दायित्वों का पालन करना चाहिए। इसके लिए विधायी अधिनियमों और मौजूदा कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी ताकि उन्हें 'लैंगिक परिप्रेक्ष्य' दिया जा सके।

विकलांग महिलाओं की समग्र सफलता के लिए परिवारों का भावनात्मक समर्थन महत्वपूर्ण है। परिवारों को यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि उनकी विकलांग बेटी हासिल कर सकती है, सफल हो सकती है और खुश और उत्पादक हो सकती है और उन्हें उसके शुरुआती दिनों से ही उस विश्वास को स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए।¹⁷

वैसे विकलांग महिलाओं के लिए उत्पादक कार्य या लाभकारी रोजगार के अवसर बहुत कम हैं, उन्हें परिवार के लिए एक बड़ा बोझ माना जाता है। अपनी लागू वित्तीय निर्भरता के साथ, वे दुनिया में सबसे कमजोर समूह बनाती हैं। विकलांग महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन को बहुत अधिक पोषण, समर्थन, सकारात्मक भेदभाव, समान अवसर और फिर सशक्तिकरण और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विकलांग महिलाओं की स्थितियों में सुधार के विभिन्न उपायों में पीडब्ल्यूडी अधिनियम का सख्त प्रवर्तन और अनुपालन शामिल है; पंचायती राज संस्थाओं में विकलांगता अधिनियम की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम शुरू करना।

घर से कार्यस्थल तक भौतिक पहुंच, कार्यस्थल के भीतर आसान पहुंच और शिक्षा तक पहुंच आजीविका अर्जित करने की क्षमता से गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। शिक्षा और प्रशिक्षण विकलांग लोगों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है। हालांकि दोनों विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत प्रदान किए गए हैं, प्रमुख शहरों के बाहर कुछ विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा या प्रशिक्षण तक पहुंच है।

विकलांग महिलाओं और लड़कियों के लिए और क्या किया जा सकता है-

1⁰ नेतृत्व प्रशिक्षण और सामुदायिक विकास परियोजनाओं को विकलांग महिलाओं को शामिल करने के लिए विशिष्ट आउटरीच प्रयास करने चाहिए।

2⁰ विकलांग महिलाओं को सभी नीति और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में और परियोजनाओं के हर स्तर पर शामिल होना चाहिए: कर्मचारियों, सलाहकारों, प्रतिभागियों और मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में।

3⁰ विकलांग महिलाओं की सलाह और विशेषज्ञता का उपयोग कार्यक्रमों और नीतियों को डिजाइन करने में किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं व लड़कियों को व्यवसाय और लाभकारी रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

4⁰ विकलांग महिलाओं के लिए अनुकूल उपकरणों के विकास और उत्पादन में शामिल करने के लिए पुनर्वास और अनुकूली तकनीक उपलब्ध होनी चाहिए।

5th विकलांग महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए सूचित तथा संवेदनशील सेवा और शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

6th मेजबान देशों में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को विकास प्रयासों में विकलांग महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।

7th स्थानीय महिला संगठनों के साथ परामर्श करना और कार्यक्रम की योजना में महिला प्रतिभागियों को शामिल करना कार्यक्रम के डिजाइन में एक जेंडर परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने का शायद सबसे अच्छा तरीका है।

विकलांगता की परिभाषा कार्यप्रणाली, विकलांगता और स्वास्थ्य के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के अनुरूप है, जो¹⁸ द्वारा विकसित एक सार्वभौमिक विकलांगता ढांचा है जिसमें पर्यावरणीय कारक जैसे दृष्टिकोण, भौतिक सेटिंग्स और लोगों के व्यवहार संबंधी पहलुओं को शामिल करने वाला सामाजिक वातावरण शामिल है। इसके अलावा विकलांग महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कुछ नारीवादियों ने अपने मत दिये हैं:

नायक बंदना (2001¹⁸) ने अपने अध्ययन में पाया कि दुनिया भर में विकलांग महिलाओं के प्रति समाज का रवैया बहुत अनिश्चित है। कमोबेश यही मानसिकता भारत में भी है। इस इक्कीसवीं सदी में निरक्षरता की उच्च दर, अज्ञानता और विकासशील देश का सदस्य होने के कारण, कोई भी इस मुद्दे को व्यक्तिगत, परिचित, सामाजिक और सरकारी दृष्टिकोण से पूरी तरह से हल करने के लिए आगे नहीं आता है। देश के समावेशी विकास के लिए इस मुद्दे को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उठाने के लिए कई गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी संगठन धीरे-धीरे आगे आ रहे हैं, लेकिन विकलांगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इसे और अधिक विचार प्रक्रिया और कठोरता की आवश्यकता है। अधिकांश विकलांग महिलाएं हिंसा, पति द्वारा विश्वासघात, सगे-संबंधियों द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। वे अच्छी शिक्षा, आजीविका से वंचित हैं जिसके लिए उन्हें लगता है कि वे हाशिए पर हैं।¹⁸

फ्रिका इरेना के (2004¹⁹) शोध, ने राज्य नीतियों, विकलांगता और महिलाओं के आंदोलनों और पुनर्वास कार्यक्रमों की बात आने पर विकलांग महिलाओं की बड़े पैमाने पर उपेक्षा की है। यह वास्तविकता विशेष रूप से उन संस्कृतियों में विकलांग महिलाओं के लिए सच है जहां एक महिला के लिए पत्नी और मां की भूमिका को प्राथमिक भूमिका माना जाता है। या 'अलैंगिक जीव' के रूप में लेकिन वास्तव में, लिंग महिलाओं के लिए विकलांगता अनुभव को 'तीव्र' करता है। नतीजतन, विकलांग महिलाएं शिक्षा, रोजगार, विवाह और स्वतंत्र जीवन के मामले में सीमित या प्रतिबंधित अवसरों का अनुभव करती हैं। अक्षमता आबादी के भीतर, विभिन्न संस्कृतियों में अक्षमता के कारण विकलांग महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हो जाती है।¹⁹

मोहंती रीना (2005²⁰) ने 'विकलांग महिलाओं पर आपदा के प्रभाव' पर अपने अध्ययन में जगतसिंहपुर जिले का विशेष संदर्भ दिया है। इस विशेष अध्ययन में यह देखा गया है कि विकलांग महिला को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जाती। उन्हें आपदा के समय राहत पाने या अपने अस्तित्व के लिए मदद के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके परिवार या एक दोस्त के अलावा कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। लेकिन साथ-साथ यह भी देखा गया कि आपदा के बाद कुछ विकलांग महिलाएं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे परिवारों की मुखिया बन गई हैं। कुछ महिलाएं आपदा के बाद सरकार के

साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों की मदद से आत्मनिर्भर हो जाती हैं जिससे परिवार के साथ-साथ समाज में भी उनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है।²⁰

लेनी चौधरी (2006) ने 'भारत में विकलांगता के मुद्दों और चिंताओं' के बारे में अपने अध्ययन में सेंटर फॉर इंकायरी इन हेल्थ एंड एलाइड थीम्स (स्वच्छ, मुंबई) में पाया कि भारत में विकलांग महिलाएं कुल विकलांग आबादी का लगभग 42 प्रतिशत हैं। वे अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य स्थिति के मामले में सबसे अधिक हाशिए पर हैं। उन्हें किसी भी तरह के शोध, राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों, जन आंदोलनों और पुनर्वास कार्यक्रमों में प्राथमिकता समूह के रूप में नहीं माना जाता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाली महिलाओं को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे इन समस्याओं का दो कारणों से सामना करती हैं, एक स्वास्थ्य समस्या की पहचान करना और दूसरा स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच। पहुँच, शिक्षा, रोजगार और भेदभाव की समस्याएं विकलांग महिलाओं की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे हैं।²¹

एम्मेट, टोनी और एर्ना अलांट (2006) ने अध्ययन किया कि सामान्य रूप से विकलांग महिलाओं के साथ विकलांग पुरुषों की तुलना में अधिक भेदभाव और नुकसान होता है। औद्योगिक देशों में, विकलांगों के लिए आय, रोजगार और शिक्षा में लिंग अंतर, हालांकि जरूरी नहीं कि बड़ा हो, लेकिन सुसंगत होता है। गरीबी और अभाव इन असमानताओं को बढ़ाते हैं, और भोजन, देखभाल व सामाजिक समावेश तक पहुंच निर्धारित कर सकते हैं।²²

हलदर संतोषी (2009) ने एक अध्ययन किया जो भारतीय समाज में उच्च शिक्षा के रास्ते में विकलांग महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न बाधाओं की पड़ताल करता है। अध्ययन में पाया गया कि क्रूर शारीरिक या वास्तु बाधाओं, वित्तीय बाधाओं और व्यवहारिक बाधाओं का चुनौतीपूर्ण महिला की उच्च शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, अध्ययन में शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अपव्यय और ठहराव की भारी दर भी पाई गई। उनका अध्ययन महिलाओं की शिक्षा के प्रारंभिक स्तर में मौजूद विभिन्न बाधाओं का मुकाबला करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता की सिफारिश करता है।²³

आशा हंस और एनी पेट्री (2013) ने सेज इंडिया द्वारा प्रकाशित 'महिला, विकलांगता और पहचान' नामक अपनी पुस्तक में, हाल के वर्षों के नारीवादी शोध से लेख एकत्र किए हैं जिन्होंने वर्ग, राष्ट्रीयता और जातीयता जैसी श्रेणियों को शामिल किया है, और इस प्रकार कई क्षेत्रों में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उजागर किया है कि विकलांग महिलाओं के लिए एक स्थान को परिभाषित किया जाए ताकि वे 'सार्वजनिक जन संस्कृति' में अपनी स्थिति को स्थापित कर सकें।²⁴

निष्कर्ष- ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के अधिकांश समाजों में, महिलाओं ने पुरुषों के संबंध में एक द्वितीयक स्थिति पर कब्जा कर लिया है। महिलाओं को आमतौर पर अपनी राय व्यक्त करने का बहुत कम अवसर मिलता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जो उनके अपने जीवन से संबंधित होते हैं। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे पहले अपने पिता द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करें, फिर पतियों द्वारा और जीवन के अंतिम चरणों में अपने पुत्रों द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करें। भले ही दुनिया के समाजों ने तरक्की की है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज भी महिलाएं पुरुषों के बराबर खड़ी हैं। महिलाओं के प्रति भेदभाव अभी भी जीवन के सभी क्षेत्रों में कायम है, एकमात्र परिवर्तन यह है कि कुछ मामलों में यह बहुत अधिक सूक्ष्म होता है। वैसे महिला आंदोलनों ने बदलाव लाने, महिलाओं

को समानता के लिए लड़ने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जब हम विकलांग महिलाओं की ओर मोड़ते हैं तो मुख्यधारा के महिला आंदोलनों में इन समूहों की जरूरतों से बेखबर नजर आती हैं। यहां तक कि विकलांग आंदोलनों ने भी विकलांग महिलाओं की विशेष जरूरतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इसलिए विकलांग महिलाओं का सशक्तिकरण समय की मांग बन गया है। लेकिन किसी भी वंचित वर्ग का सशक्तिकरण तभी संभव है जब संबंधित समूह को यह अहसास हो कि समाज द्वारा उसके हितों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सशक्तिकरण में दुरुपयोग की घटनाओं को समझने के लिए एक समूह को ज्ञान और कौशल से लैस करना भी शामिल है। विकलांग महिलाओं सहित सभी महिलाओं को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार यौन शिक्षा, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण व सबसे जरूरी बुनियादी स्तर पर, दुर्व्यवहार की किसी भी घटना की रिपोर्ट किसी प्राधिकारी व्यक्ति को करने में सक्षम होना चाहिए।

विषय सूची-

1. Kumar, Siva (2013), <http://timesofindia.indiatimes.com/india/Disabled-population-up-by-22-4-in-20iu/articleshow/2807237i.cms>. Accessed in November 2022.
2. Asch, A., & Fine, M. 1988 "Introduction: Beyond pedestals." Women with disabilities: Essays in psychology, culture, and politics. Ed. Fine & A. Asch. Philadelphia, PA: Temple University Press. Pp3-28.
3. <https://www.researchgate.net/publication/354236880>. Accessed in November 2022.
4. Ibid,
5. Sobsey, D. 1994, *Violence and Abuse in the Lives of People with Disabilities: The End of Silent Acceptance?* Baltimore: Brookes Publishing Company.
6. Waxman, B.E (1991). "*Hatred: The unacknowledged dimension in Violence against disabled people.*" *Sexuality and Disability* 9, (3), (1991): Pp. 45-57.
7. Masuda, S. 1996, *Safety Network Community Kit: From Abuse to Suicide Prevention and Women with Disabilities*; Toronto: Disabled Women's Network.
8. WHO/UNFPA. Promoting Sexual and Reproductive Health for People with Disabilities. New York. UN. 2009.
9. Ghai. A. 2009, "The Women's Movement Must Do More for Disabled Women." *Info Change Agenda*.http://infochangeindia.org/200906017769/Disabilities/Analysis/The-women's_movement-must-do-more-for-disabled-women.html. Accessed in November 2022.
10. Watson, J.D. (1984), "Talking about the best kept secret: Sexual abuse and children with disabilities". *Exceptional Parent*, 74, Pp. 16-20.
11. Craine, L. S., Henson, C. E., Colliver, J. A., & McLelan, D. G. (1988), "Prevalence of a history of sexual abuse among female psychiatric patients in a state hospital system." *Hospital and Community Psychiatry*, 39(3) Pp. 300-304.
12. Waxman Fiduccia, B. (1997), *Multiplying Choices Improving Access to Reproductive Health Services for Women with Disabilities*. Oakland, CA: Berkeley Planning Associates.
13. Gill, C.J. (1993), "Cultivating common ground: Women with disabilities." *Health Pac Bulletin*. 22, Pp.32-37.
14. Fine, M., & Asch, A. (1981), "Disabled women: Sexism without the pedestal." *Journal of Sociology and Social Welfare*, 8(2), Pp. 233-248.
15. World Bank (2007), *People with Disabilities in India: From Commitments to Outcomes*. New Delhi: Human Development Unit, South Asia Region.
16. Kafer, A (1999), "Claiming our bodies". www.disabilityhistory.org/woman. Accessed in November 2022.
17. Fine, M., & Asch, A. (1981), "Disabled women: Sexism without the pedestal." *Journal of Sociology and Social Welfare*, 8(2), Pp. 233-248.
18. Bandana Nayak, (2013). The Status of Women with Disabilities from Personal, Familiar and Social Aspects: A Study in India, *International Journal of Asian Social Science, Asian Economic and Social Society*, 3(5), 1244-1259.
19. Feika, I. (2004). *Equity to Women with Disabilities in India*. Available online. http://www.disabilityworld.org/09-11_04/women/india.html. Accessed in November 2022.

20. Mohanty, R. (2005). Impact of disaster on disabled women special reference to Jagatsinghpur District. Bhubaneshwar: Shanta Memorial Rehabilitation Centre.
21. Chaudhuri Leni (2006). "Disability in India-issues and concerns", The Centre for Enquiry into Health and Allied Themes (CEHAT), Mumbai.
22. Emmett, Tony, & Erna Alant (2006). Women and disability: exploring the interface of multiple disadvantages, Development Southern Africa, 61(4).
23. Halder, Santoshi (2009). Prospects of higher education of the challenged women in India, International Journal of Inclusive Education, 13(6).
24. Asha Hans & Annie Patri (2013). Societal responses to women with disabilities in India, 76-88 IN Women, disability and identity/ed. New Delhi: Sage.

